न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः–श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 25/2024

प्रार्थीः–

1. भंवरलाल पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी
2. ना.बा. गणपतलाल पुत्र विरधाराम के संरक्षक विरधाराम पुत्र जोधाजी
3. भूराराम पुत्र रामचन्द विश्नोई
   जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–श्री भंवरलाल स्वयं

–:: आदेश ::– दिनांक :–22.02.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 220 व 221 कुल रकबा 02.2905 हैक्टेयर ग्राम फूलण तहसील तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, आदि में उसका वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र धीमाराम ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र धीमाराम के स्थान पर 'नाबालिग भंवरलाल पुत्र घीसाराम' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक–भू.अ./2024/232 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि, बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र धीमाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता स्व. धीमाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा त्रुटिवश नाम भंवरलाल पुत्र घीसाराम लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित [illegible]। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने [illegible] प्रार्थी [illegible] भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से [illegible] सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज [illegible] का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी पत्र आदि दस्तावेजात में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

उनका नाम भंवरलाल पुत्र धीमाराम दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र घीसाराम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र धीमाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 220 व 221 कुल रकबा 02.2905 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'नाबालिग भंवरलाल पुत्र घीसाराम' के स्थान पर 'भंवरलाल पुत्र धीमाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested